(v) The Agreement was initially for a period of five years. Thereafter, the Agreement is automatically renewable from year to year unless a notice for termination of the Agreement or request for a new Agreement in writing is given by either side three months prior to the expiration of the Agreement.

(c) India's imports from Iran during the last three years were as follows:—

Year	Value of Imports (Rs. in crores)
1993-94	1190.44
1994-95	1684.59
1995-96	1968.88

The main commodities imported from Iran were crude oil, organic/inorganic chemicals, pig iron, fruits & nuts, sulphur & unroasted iron pyrites, metallic ores and metal scrap, pulses, etc.

ग्रेनाइट की खोज के लिए एकक

*165. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रेनाइट की खोज करने और उसके संसाधित करने हेतु एकक स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों से कोई सर्वेण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) ग्रेनाइट के गौण खनिज होने के कारण खनिज रियायतों की मंजूरी का अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकारों के पास निहित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य के ग्रेनाइट भण्डार केवल मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (राज्य सरकार का उपक्रम) को ही दिए जाते हैं जो एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा राज्य में संयुक्त क्षेत्र में ग्रेनाइट गवेषण और पालिशिंग यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बस्तर जिले के कोंटा तहसील के मुला, किसौली क्षेत्र में पाए गए ग्रेनाइट के विदोहन के लिए जनवरी, 1996 में मैसर्स पैसिफिक इंडस्ट्रीज, उदयपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रेनाइट भण्डारों का सर्वेक्षण विशेषरूप से इसके विदोहन और शोधन को ध्यान में रखते हुए अभी तक आरम्भ नहीं किया है।

केन्द्रीय विकलांग आयोग

*166. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक केन्द्रीय विकलांग आयोग का गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या इस आयोग में विकलांगों को सदस्य के रूप में नामित करने का कोई प्रावधान है;

(घ) इस आयोग का गठन क्या होगा:

(ङ) **क्या** सरकार ने विकलांगों के खेल और मनोरंजन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Changes in Present Public Distribution System

*167. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring about some changes in the present public distribution system;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this proposal was discussed in a Chief Ministers' Conference, held recently; and

(d) if so, the suggestions made by various Chief Ministers' and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (d) Government propose to streamline the PDS with its focus on the poor. At the conference of Chief Ministers held on 4th and 5th July, 1996 the matter was discussed. The Conference welcomed the proposal to streamline the Public Distribution System with focus on the population Below Poverty Line and issue foodgrains to them at specially subsidised prices. The details are being worked out in consultation with the State Governments.

अनुसूचित जनजाति बहुल औद्योगिक जिले

*168. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने जिलों को औद्योगिक जिला घोषित किया गया है; और

(ग) उन्हें औद्योगिक जिला घोषित किये जाने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 51 ऐसे जिले हैं जिनमें 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इन जिलों के राज्यवार नाम विवरण में दिए गए है **(नीचे देखिए)**

(ख) ऐसा कोई प्रावधान/योजना नहीं है जिसके तहत ये जिले औद्योगिक जिले घोषित किए जाएं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार देश में 50% से अधिक की अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 51 जिले हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है।

आंध्र प्रदेश
1. शून्य

अरूणाचल प्रदेश
1. तवंग
2. पश्चिम कामेंग
3. पूर्वी कामेंग
4. लोअर सुबांसरी
5. अपर सुबांसरी
6. पूर्वी सियांग
7. पश्चिमी सियांग
8. तिरेप

असम
1. कार्बी अंगलोंग
2. पूर्वी कच्छार हिल्स

बिहार
1. लोहारडागा
2. गुमला
3. पश्चिमी सिंहभूम

गुजरात
1. बलसाद
2. डांगे

हिमाचल प्रदेश
1. किन्नूर
2. लाहौल स्पिति

कर्नाटक
शून्य

केरल
शून्य

मध्य प्रदेश
1. झबुआ
2. धार
3. मजदिया
4. सरगुजा
5. बस्तर